भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1097

मंगलवार, दिनांक 26 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्रों के लिए माँग</u>

1097. श्रीमती फूलो देवी नेतम: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि व्यापक नीतिगत प्रोत्साहन के बावजूद, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्रों के लिए स्वैच्छिक खरीदारों की भागीदारी नगण्य है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्रों की लगभग समूची मांग विद्युत वितरण कंपनियों (60 प्रतिशत) और आबद्ध विद्युत संयंत्रों या निर्बाध पहुँच वाले उपभोक्ताओं (लगभग 40 प्रतिशत) जैसी बाध्यकारी इकाइयों से आती है, जिसमें स्वैच्छिक खरीदारों की भागीदारी नगण्य है;

(ङ) क्या सरकार ने स्वैच्छिक खरीदारों की भागीदारी में सुधार करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री

(श्री भगवंत खुबा)

(क) से (च): अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) व्यवस्था 2010 में शुरू की गई थी, ताकि बाध्यकारी संस्थाओं को अपने अक्षय खरीद दायित्वों को पूरा करने और अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को प्रोत्साहित करने में आसानी हो।

आरईसी की शुरुआत से दिनांक 30.06.2022 तक इसके श्रेणी-वार खरीदारों का विवरण नीचे दिया गया है:-

खरीदार की श्रेणी	खरीदी गई कुल आरईसी*	खरीदी गई कुल आरईसी का प्रतिशत
डिस्कॉम	3,75,81,714	53.92
ओपेन एक्सेस/कैप्टिव विद्युत उत्पादक	3,18,18,478	45.65
स्वैच्छिक	31,342	0.04
विनियामक	2,62,101	0.38
कुल	6,96,93,635	100.00

**एक आरईसी 1000 मेगावाट घंटा के बराबर है। ये आरईसी ऐसे अक्षय ऊर्जा उत्पादक को दिए जाते हैं, जो 1 मेगावाट घंटा बिजली उत्पादन के लिए बाध्यकारी संस्थाओं को अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली की बिक्री नहीं करता।*

केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग ने आरईसी के माध्यम से अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली के बाजार के विकास के लिए दिनांक 09.05.2022 को नए आरईसी विनियम, 2022 जारी किए हैं।

*****